103

328

न्यायालय श्रीमान् म0प्र0राजस्व मन्डल ग्वालियर , केम्प रीवा, म0प्र0

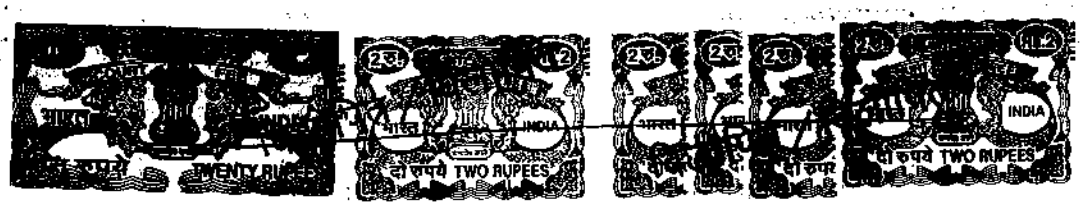

मुन्ना लाल तिवारी तनय चन्द्रभान प्रसाद तिवारी ग्राम गोरगाव, तहसील– रायपुर कर्चुलियान जिला रीवा म0प्र0 ——————निगरानीकर्ता

II/निग./म.रा./रीवा/2017/6164

बनाम

1. रंगनाथ तिवारी तनय यदुनन्दन प्रसाद तिवारी ग्राम गोरगाव, तहसील– रायपुर कर्चुलियान जिला रीवा म0प्र0
2. शासन म0प्र0

——————————प्रत्यर्थीगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भूराजस्व संहिता1959 अन्तर्गत आदेश विरूद्ध न्या0नायब तहसीलदार रायपुर कर्चुलियान के राजस्व प्रकरण क0 08 /अ–9/2016/2017 आदेश दिनांक 12.10.2017

मान्यवर,

निगरानीकर्ता न्यायालय नायब तहसीलदार रायपुर कर्चलियान के राजस्व प्रकरण क0 08/अ–9/2016/2017 आदेश दिनांक 12.10.2017 से पीड़ित हो यह निगरानी निम्न आधारो पर प्रस्तुत कर रहा है:–

1. यह कि माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश अधिकारिता विहीन है, म0प्र0भू0राजस्व संहिता के अन्तर्गत हितबद्ध पक्षकार को सूचना दिया जाना अनिवार्य है, परन्तु माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश में निगरानी कर्ता को पक्षकार नही बनाया गया था। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अधिकारिता का प्रयोग करने में अविधिपूर्ण एवं सारवान अनियमितता की हैं। जिससे पीड़ित हो यह निगरानी अग्रलिखित आधारो पर प्रस्तुत की जा रही है।
2. यह कि प्रत्यर्थी क0 1 ने आराजी खसरा क0 509/2 रकवा 0.077 हे0 स्थित ग्राम गोरगाव प0ह0–गोरगाव, तहसील–रायपुर कर्चलियान जिला रीवा की आराजी नक्सा तरमीम किये जाने बाबत आवेदन पत्र बिना अपीलार्थी को प्रकरण में पक्षकार बनाये प्रस्तुत किया, जिसमें माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को हितबद्ध पक्षकार होने के बाबजूद भी बिना किसी सुचना व सुनवाई का अवसर प्रदान किये प्रश्नगत आलोच्य आदेश पारित किया।

मुन्नालाल तिवारी

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्र[illegible]मांक II/निग0/2017/6164 | जिला–रीवा

मुन्नालाल तिवारी/ रंगनाथ तिवारी

(1)	(2)	(3)
05/8/19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री शैलेन्द्र निगम उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी ना0 तहसीलदार, तहसील रायपुर कर्चुलियान के प्रकरण क्रमांक 08/अ–9/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 12.10.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 25.10.19 को कलेक्टर, जिला रीवा के समक्ष उपस्थित हो। (महेशचन्द्र चौधरी), सदस्य	—